Ministry of Culture
Government of India

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डॉ. के. श्रीनिवासराव
सचिव
Dr. K. Sreenivasarao
Secretary

साहित्य अकादेमी
(राष्ट्रीय साहित्य संस्थान)
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था
Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
An Autonomous Organisation of Government of India, Ministry of Culture

प्रेस विज्ञप्ति

साहित्य अकादेमी द्वारा अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय साहित्य विषय पर परिसंवाद का आयोजन

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेज़ी भाषाओं में प्रतिबंधित साहित्य के बारे में हुई चर्चा

नई दिल्ली, 15 अगस्त 2022 : साहित्य अकादेमी द्वारा आज स्वाधीनता दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भारतीय साहित्य विषयक परिसंवाद का आयोजन किया गया। परिसंवाद में हिंदी सहित पंजाबी, उर्दू, गुजराती, ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेज़ी भाषाओं में प्रतिबंधित साहित्य के बारे में चर्चा हुई। कार्यक्रम के आरंभ में सभी प्रतिभागियों का स्वागत अकादेमी के सचिव के.श्रीनिवासराव ने अंगवस्त्रम पहना कर किया। अपने स्वागत वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय सभी भारतीय भाषाओं में लेखकों ने बिना सज़ा की परवाह किए निर्भीक होकर अपनी बात कही। प्रतिबंध होने पर विरोध की भावना और प्रबल हो जाती थी, जिससे लोग और बड़े समूह में एकजुट हो जाते थे।

असमिया भाषा में प्रतिबंधित साहित्य के बारे में बोलते हुए ध्रुव ज्योति बोरा ने कहा कि असम पर अंग्रेजों से पहले 4 वर्ष वर्मा का कब्ज़ा रहा और छपाई के अभाव में वाचिक साहित्य के सहारे अंग्रेजों का विरोध किया गया।इसके लिए गीतों और नाटक आदि का सहारा लिया गया। सबसे ज्यादा पंफलेट्स बैन किए गए जिन्हें ज्यादातर हाथों द्वारा लिखा जाता था।प्रतिभा देवी का उपन्यास भी प्रतिबंधित किया गया। अंग्रेज़ी में प्रतिबंधित साहित्य के बारे में हरीश त्रिवेदी ने बताते हुए कहा कि अंग्रेजों ने इस संबंध में तीन एक्ट बनाए थे जो मुख्यतः भारतीय प्रेस और भारतीय संपादकों को परेशान करने के लिए थे। उन्होंने पंडित सुंदर लाल और दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकों, अनेक पत्र पत्रिकाओं के अंकों के जब्त करने के संदर्भ प्रस्तुत किए। हर्षद त्रिवेदी ने गुजराती लोकगीतों के साथ ही मेघाणी, कवि सुंदर, जीवन सिंह, मनसुख झावेरी आदि के कई कविता संग्रहों और नाटकों को जब्त किए जाने की जानकारी दी। रामजन्म शर्मा ने हिंदी के जब्तशुदा गीतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन के जब्त होने पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि उस दौरान 264 किताबों और 500 से ज्यादा गीतों पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंधित गीत मुख्यता हसरत मोहानी, अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, जोश मलीहाबादी, मोहनलाल अरमान और सोहन लाल दिवेदी आदि द्वारा लिखे गए थे।

पंजाबी के प्रतिबंधित साहित्य के बारे में बताते हुए गुरदेव सिंह सिद्धू ने कहा कि इसे मुख्यतः तीन चरणों में बांटा जा सकता है. एक जो 1912 में गदर पार्टी के उदय के साथ हुआ जिसमें मुख्यतः लाला हरदयाल की किताबें थीं और गदर पार्टी के पर्चे थे जो बैन किए गए। दूसरा चरण था जो जलियावाला बाग कांड के बाद रचा गया साहित्य और तीसरा चरण राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की फांसी के बाद का। उन्होंने वहां छपने वाले भगत सिंह के पोस्टरों का भी जिक्र किया जो भारी मात्रा में छपते थे और तुरंत ही जब्त कर लिए जाते थे। उर्दू के जब्त साहित्य के बारे में बात करते हुए रख्शंदा जलील ने कहा की उर्दू में मुख्य रूप से कम्युनिस्ट साहित्य पर नजर रखी जा रही थी जो ताशकंद से आता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में जितना भी जब्तशुदा साहित्य रखा गया है अगर उसकी सिलसिलेवार समीक्षा की जाए तो भारत के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिलेगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जलियांबाग कांड के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लिखने की गति बहुत तेज हुई थी और बड़े स्तर पर पुस्तकें और पर्चे छापे जाने शुरू किए गए थे।

कन्नड़ भाषा के प्रतिबंधित साहित्य के बारे में राघवेंद्र पाटिल ओड़िया साहित्य के बारे में चित्तरंजन भोई, तमिल भाषा के बारे में पि.आनंद कुमार और तेलुगु भाषा के साहित्य के बारे में वासिरेड्डी नवीन ने अपने - अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन संपादक (हिंदी)अनुपम तिवारी ने किया।

(के. श्रीनिवासराव)

रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001, दूरभाष : +91-11-2338 7064, 2307 3002, फैक्स : +91-11-2338 2428
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001, Phone : +91-11-2338 7064, 2307 3002, Fax : +91-11-2338 2428
E-Mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in, Website : http//www.sahitya-akademi.gov.in